कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, गुना (म.प्र.)

गुना, दिनांक 13-12-18

क्रमांक 1935 / एस.ए.सी. / 2018

प्रति,

उपसंचालक,
विज्ञापन शाखा,
जनसम्पर्क भवन, बाणगंगा
भोपाल (म.प्र.)

विषय:– वर्ष 2018–19 रबी फसल हेतु तालाबों की डूब से निकली भूमि को पट्टे पर दिये जाने की अधिसूचना का प्रकाशन बावत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस कार्यालय द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 12.12.2018 का प्रारूप तीन स्थानीय समाचार पत्र एवं दो राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु आपकी ओर भेजा जा रहा है।

अतः शासन द्वारा इस नोटिस के तहत उक्त अधिसूचना का विवरण समचार पत्रों में प्रकाशन करने का कष्ट करें, साथ ही निवेदन है कि जिन समाचार पत्रो में प्रकाशन कराया जावे, उनकी एक प्रति इस कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जावे।

संलग्नः– हिन्दी प्रति– 5 नं.

(जी.एल.धनोरे)
कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग, गुना

गुना दिनांक 13-12-18

पृ. क्रमांक ______ / एस.ए.सी. / 2018

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य अभियंता, चम्बल बेतवा कछार जल संसाधन विभाग भोपाल।
2. अधीक्षण यंत्री जल संसाधन मण्डल गुना।
3. कलेक्टर जिला गुना।
4. अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग, गुना / मकरोदा परियोजना उपसंभाग, रामपुर कालोनी की ओर सूचनार्थ।
5. वेब मैनेजर, डाटा सेन्टर, भोपाल की ओर भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति विभाग की वेब साईड पर प्रकाशित करवाने हेतु अनुरोध है।
6. ज्ञानदूत प्रभारी, कलेक्टर प्रांगण गुना।
7. कार्यालयीन नोटिस बोर्ड।

संलग्नः– हिन्दी प्रति–1 नं.

(जी.एल.धनोरे)
कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग, गुना

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, गुना (म.प्र.)

गुना, दिनांक 12.12.2018

क्रमांक 1987/आवि/पट्टा/2018–19

–: अधिसूचना :–

सर्व संबंधितों को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2018–19 रबी फसल हेतु जल संसाधन संभाग गुना के तालाबों की डूब से निकली भूमि को पट्टे पर खेती के लिये म.प्र.सिंचाई अधिनियम 1931 (क–3) की धारा 64 के अधीन पुनरीक्षित कार्यकारी अनुदेश के निर्देशानुसार आवंटन हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

2.0 पट्टे पर दी गई भूमि पर केवल खाद्य फसलों आदि का उत्पादन कर सकेगा।

2.1(अ) तालाब के तल अथवा डूब से बाहर की खेती के लिये पट्टे देते समय अधिमान्य निम्न क्रम से दिया जावेगा।

क– ऐसे व्यक्ति जिनकी जमीन तालाब के डूब में आ गई है और उसी गाँव में निवास कर रहे हैं, को ही भूमि पट्टे की पात्रता होगी। ऐसे व्यक्ति जिनकी जमीन तालाब के डूब में आ गई है पर वे गाँव छोड़कर अन्यत्र बस गये हैं, को पट्टे प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी।

ख– उसी गाँव के ऐसे भूमिहीन व्यक्ति जो :–

1. अनुसूचित जनजाति के हों।
2. अनुसूचित जाति के हों।
3. भूमिहीन पिछड़ावर्ग के हों।
4. विकलांग हों।
5. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हों।
6. भूतपूर्व सैनिक हों।
7. ऐसे कृषक स्नातक जो उस गांव के निवासी हों।
8. अन्य।

ग– उसी गाँव के भूमिहीन, अनुसूचित, जनजाति और अनुसूचित जाति के लिये उपलब्ध भूमि का 25 प्रतिशत भाग पट्टे पर देने के लिये आरक्षित रखा जावेगा यदि गाँव में इस वर्ग के पात्रता रखने वाले व्यक्तियों को पट्टे के बाद आरक्षित भूमि में से भूमि बच जाती है तो इसे अन्य वर्ग के पात्र व्यक्तियों को दिया जा सकेगा।

अ– प्रत्येक कृषक को पट्टे पर दी जाने वाली भूमि का क्षेत्रफल उसके डूब में आई भूमि का आधा होगा परन्तु शर्त यह है कि उसके पास आवंटन के बाद अन्य भूमि मिलाकर कुल 5 एकड़ से अधिक भूमि न हो एवं एक एकड़ से कम हो।

ब– शासन की सुविधानुसार या डूब से बाहर की भूमि पट्टे पर एक से तीन साल तक की अवधि के लिये एवं ऐसे प्रकरणों में जहाँ बाँध की डूब से प्रभावित विस्थापितों को दिया जाना हो व डूब से निकलने वाली भूमि एक से दस वर्ष तक की अवधि के लिये निम्न शर्तों पर दी जावेगी।

1. प्रथम वर्ष पर दी जाने वाली भूमि की दर रुपये 440/– रुपये प्रति एकड़ से कम नहीं होगी।
2. अगले वर्ष के लिये पट्टे की दर का निर्धारण पिछले वर्ष की प्रति एकड़ दर से कितना बढ़ाकर देना है यह निर्णय जिला योजना समिति द्वारा लिया जावेगा। लेकिन यह वृद्धि गत वर्ष की दर की अधिकतम दो गुनी से अधिक नहीं होगी।
3. यदि कोई पट्टेदार निर्धारित समय के अन्दर पट्टे की राशि जमा नहीं करता है तो उसे आगे भूमि पट्टे पर नही दी जावेगी।

क्रमशः 2

2.2 पट्टे का आवंटन सभी पात्र व्यक्तियों को करने के पश्चात शेष बची भूमि का आवंटन खुली नीलामी से किया जावेगा। नीलामी की न्यूनतम दर रूपये 1000/- प्रति एकड़ निर्धारण न्यूनतम दर से कम नीलामी बोली होने की स्थिति में विकल्प का निर्णय जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा लिया जावेगा।

पट्टे पर जिन व्यक्तियों को भूमि लेना है वह अपने आवेदन अधिसूचना पत्र के अनुसार नियोजित संबंधित अनुविभागीय अधिकारी के कार्यालय में दिनांक 21.12.18 से 31.12.18 तक प्रस्तुत करें। यद्रि कोई पट्टेदार निर्धारित समय के बाद अपना आवेदन पट्टे पर भूमि लेने हेतु म्याद गुजरने के बाद प्रस्तुत करेगा तो उस आवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा।

इस संभाग के अन्तर्गत डूब के बाहर के निम्न तालाबों की जमीन पट्टे पर आवंटित की जावेगी।

स.क्र.	जिला	तहसील	तालाब का नाम
1	गुना	बमोरी	1. मकरोदा
		-"-	2. रामपुर
		-"-	3. बांडियानाला
		-"-	4. सामरसिंगा
		-"-	5. बीलाखेड़ी
		-"-	6. खण्डेला
		-"-	7. कलोरा
		-"-	8. बंधा
		-"-	9. भैंसाटोरी
2	गुना	गुना	10. मोहरी
		-"-	11. गोपालपुरा
		-"-	12. सूखानाला
		-"-	13. माली
		-"-	14. आरी
		गुना	15. हिलगना
		-"-	16. सिलावटी
		-"-	17. इमझरा
		-"-	18. मगरधा
		-"-	19. रीछई
		-"-	20. रेंझाई
		-"-	21. करके की मऊ
		-"-	22. धानबाड़ी

नोटः- सिंचाई राजस्व एवं भू-राजस्व बकायादारों को पट्टा प्रदाय नहीं किया जावेगा। पट्टे दिये जाने हेतु अग्रिम शशि जमा करावें।

(जी.एल.धनोरे)
कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग गुना

[illegible]

पृ.क्रमांक 1988 /आवियाना/पट्टा/2018–19 गुना, दिनांक 12.12.2018

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य अभियंता, चंबल बेतवा कछार, जल संसाधन विभाग, भोपाल।
2. अधीक्षण यंत्री, जल संसाधन मण्डल, गुना।
3. कलेक्टर, जिला गुना।
4. अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) गुना।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, गुना।
6. अध्यक्ष, जिला पंचायत, गुना।
7. तहसीलदार, गुना/बमौरी।
8. केनाल डिप्टी कलेक्टर, चंबल बेतवा कछार जल संसाधन विभाग, भोपाल म.प्र.।
9. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत गुना/बमोरी ।
10. अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग गुना/मकरोदा परियोजना उपसंभाग रामपुर कालोनी की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है विज्ञप्ति की प्रति संबंधित ग्राम के सार्वजनिक स्थल पर चस्पा करने के साक्ष्य के रूप में संबंधित ग्रामवासियों के हस्ताक्षर लेकर रिकार्ड में रखें एवं बाँध के डूब के बाहर निकली भूमि नक्शे पर मार्क एवं सर्वे नम्बर वार लिस्ट ग्रामवार प्लाटवार क्षेत्र की पूर्ण जानकारियों के साथ संभाग कार्यालय में तुरन्त जमा करना सुनिश्चित करें।
11. संबंधित सरपंच, ग्राम पंचायत .... की ओर विज्ञप्ति की प्रति जनपद पंचायत कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर आम सूचना हेतु चस्पा करने हेतु प्रेषित।
12. संबंधित अध्यक्ष, जल उपभोक्ता संथा .... की ओर विज्ञप्ति की प्रति संथा से संबंधित ग्रामों में प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

(जी.एल.धनोरे)
कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग गुना